राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

☎ : 0141-2385027(O) & E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

---

क्र.:एफ4()PR / DP / राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 / 81591,   जयपुर दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्–समस्त।

विषयः–24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के संबंध में।

संदर्भः–पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा. पत्र दिनांक 20.04.2026।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार 24 अप्रैल, 2026 को जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तहत कार्यक्रम / समारोह आयोजित किये जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने की याद में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जन–केंद्रित पहलों के माध्यम से पंचायती राज समुदाय को प्रेरित करने, स्थानीय शासन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने तथा आत्मनिर्भर पंचायत की परिकल्पना को साकार करने हेतु राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तहत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम / समारोह में निम्नानुसार गतिविधियां सम्मिलित की जानी है :–

- आम नागरिकों व लाईन विभागों के अधिकारियों / कार्मिकों की सार्थक भागीदारी सुननिश्चित करते हुए ग्राम सभा का आयोजन।
- आयोजित ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही विवरण सभा सार के माध्यम से तैयार करना।
- कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का अभिनंदन।
- सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता सृजन संबंधी गतिविधियाँ सम्मिलित करना
- महिला नेतृत्व वाले विकास, पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत प्रदर्शन, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) में प्रगति, ओएसआर को बढ़ाने की रणनीतियां इत्यादि विषयों पर चर्चा करना।
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से संबंधित सभी पोस्ट व अपडेट के लिए पंचायती राज मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो व टैग करना ताकि अधिक प्रचार–प्रसार तथा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.04.21 15:29:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21715967
M e-Sign

अतः उत्साह व अधिकतम जन भागीदारी के साथ 24 अप्रैल, 2026 को जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने हेतु उपरोक्तानुसार व संदर्भित पत्र में दिये गए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर आवश्यक तैयारियां व कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम/समारोह में किये जाने वाला व्यय ओएसआर/आरजीएसए के आई.ई.सी मद/अन्य केंद्रीय व राज्य ग्रामीण विकास योजनाओं से किया जा सकता है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम), पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।

RajKaj Ref No.:
21715967

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.04.21 15:29:06 IST
Reason: Approved